

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित गाम पंचायत के गाम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

### अनुभव प्रमाण पत्र

श्री. श्रीमती रानी ..... (गाम प्रधान/सरपंच का नाम),  
गाम प्रधान/सरपंच- गाम पंचायत कमालपुर शुमाली ..... विकास  
खंड शेरगढ़ ..... जनपद चेरली .....  
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री /श्रीमती  
श्री सचिन चौधरी पुत्र ..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती  
भागवतसुन्दर ..... (पिता/माता का नाम), निवासी  
कमालपुर शुमाली, शेरगढ़ (चेरली) ..... (गाम पंचायत का नाम), जिसका  
आधार संख्या 206631664968 ..... (आधार संख्या) है, ने हमारी  
गाम पंचायत कमालपुर शुमाली में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग  
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियों मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।  
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये  
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए  
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक: 07/11/2026

